रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 1975/माघ 21, 1896

No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 1975/MAGHA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February 1975

S.O. 88(E).—Whereas there has been a demand from certain sections of the public for an inquiry into several aspects connected with the explosion which occurred on 2nd January, 1975, at about 17.45 hours at Samastipur Railway Station resulting in the death of Shri L. N. Mishra, Union Minister for Railways and Sarvashri Suraj Narain Jha, Member of the Legislative Council, Bihar and R. K. P. S. Kishore, Railway Clerk and serious injuries to a number of persons and the explosion which occurred on the same day at about 20.00 hours in the house of Shri Mahadeo Sahu at Samastipur;

And whereas offences arising out of the aforesaid explosions are the subject matter of investigation under the Criminal Procedure Code 1973 by the Delhi Special Police Establishment in pursuance of Government of India Cabinet Secretariat (Department of Personnel & Administrative Reforms) Order 228/1/75-AVD-II dated the 7th January, 1975;

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the circumstances pertaining to the herein-before recited explosions particularly one of which in a public place resulted subsequently in the death of Union Railway Minister, Shri L. N. Mishra and Shri Suraj Narain Jha, Member of the Legislative Council, Bihar and of Shri R. K. P. S. Kishore, Railway Clerk and injuries to others;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice K. K. Mathew, Judge, Supreme Court of India, as sole member.

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows:—

(a) to inquire into the general background and the facts and circumstances pertaining to the explosion that occurred on 2nd January, 1975 at Samastipur Railway Station resulting in the death of Shri L. N. Mishra, Union Minister for Railways and Sarvashri Suraj Narain Jha, Member of the Legislative Council, Bihar and R. K. P. S. Kishore, Railway Clerk and serious injuries to a number of persons and the subsequent explosion that occurred the same day in the house of Shri Mahadeo Sahu;

(b) to inquire into the nature and adequacy of measures taken to afford necessary protection and security to the Union Minister of Railways while attending the public function for inauguration of Samastipur—Muzzafarpur Broad Gauge Line on 2nd January, 1975;

(c) to inquire into the nature and adequacy of medical attention given to late Shri L. N. Mishra after he came to be injured as a result of the explosion at the railway station and other related circumstances taking into consideration the findings of the Medical Experts Committee appointed by the Government of Bihar in their Home Department Resolution No. 508/C dated the 28th January, 1975;

(d) to inquire into the nature and adequacy of steps taken for rendering medical and other assistance to persons injured as a result of the aforesaid explosion;

(e) to consider such other matters which in the opinion of the Commission have any relevance to the aforesaid; and

(f) to recommend measures which may be adopted for preventing the recurrence of such incidents.

3. The Commission will be expected to complete its inquiry and submit its report to the Central Government within three months from the date of this notification.

4. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government hereby directs under sub-section (1) of the said section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

[No. 1/12014/1/75-S&P(D-I)]

N. K. MUKARJI, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1975

सां० आ० 88 (अ).—यतः 2 जनवरी, 1975 को लगभग 17.45 बजे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री ललितनारायण मिश्र और सर्वश्री सूरज नारायण झा, सदस्य, विधान परिषद्, बिहार और रेलवे क्लर्क, आर० के० पी० एस० किशोर, की हुई मृत्यु और बहुत से व्यक्तियों को आई गंभीर चोटों के विषय में और उसी दिन समस्तीपुर में लगभग 20.00 बजे श्री महादेव साहू के मकान में हुए विस्फोट के विषय में जनता के कुछ वर्गों द्वारा इन विस्फोटों से सम्बन्धित अनेक पहलुओं के बारे में जांच की मांग की गई है;

और यतः उक्त विस्फोटों के कारण होने वाले अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन, भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 7 जनवरी, 1975 के आदेश सं० 228/1/75—ए० वी० डी०—II के अनुसरण में, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा जांच किए जाने की विषय-वस्तु है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का मत है कि सार्वजनिक महत्व के इन निश्चित मामले—अर्थात्, वे परिस्थितियां, जिन्हें इससे पूर्व विस्फोट कहा गया है और उनमें विशेषकर वह विस्फोट, जो सार्वजनिक स्थान पर हुआ जिसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री ललित नारायण मिश्र और बिहार विधान परिषद् के सदस्य श्री सूरज नारायण झा और रेलवे क्लर्क, श्री आर० के० पी० एस० किशोर की मत्यु हो गई और अन्य व्यक्तियों को आई चोटों के विषय में जांच करने के उद्देश्य से एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू को एक मात्र सदस्य के रूप में जांच आयोग नियुक्त करती है ।

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट से सम्बन्धित सामान्य पृष्ठभूमि और उन तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करना जिनके परिणामस्वरूप केन्द्रीय रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र और सर्वश्री सूरज नारायण झा, सदस्य, विधान परिषद्, बिहार तथा आर० के० पी० एस० किशोर, रेलवे क्लर्क की मत्यु हो गई और बहुत से व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं और बाद में, श्री महादेव साह के घर में उसी दिन हुआ विस्फोट ;

(ख) 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन का उद्घाटन करने के सार्वजनिक समारोह में उपस्थित होते समय केन्द्रीय रेल मंत्री के बचाव तथा सुरक्षा के लिए जरूरी जो भी उपाय किए गए उनके प्रकार और उनकी पर्याप्तता की जांच करना ;

(ग) रेलवे स्टेशन पर विस्फोट होने के कारण स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के घायल होने पर उनकी चिकित्सा के लिए किए गए उपायों के प्रकार और उनकी पर्याप्तता तथा बिहार सरकार द्वारा अपने गृह विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 1975 के संकल्प सं० 508/सी० द्वारा नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों की जांच करना;

(घ) उपर्युक्त विस्फोट के परिणामस्वरूप घायल हुए व्यक्तियों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता पहुंचाने के लिए किए गए उपायों के प्रकार और उनकी पर्याप्तता की जांच करना;

(ङ) इस प्रकार के उन अन्य मामलों पर विचार करना, जो आयोग के विचार में उक्त घटना से संगत हों; और

(च) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिनको इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाया जा सके ।

3. आयोग से यह अपेक्षा है कि वह इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी कर लेगा और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा ।

4. केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि की जानेवाली जांच के प्रकार और इस मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (सन् 1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्धों को उक्त आयोग पर प्रवृत किया जाना चाहिए और उक्त धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपर्युक्त सभी उपबन्ध उक्त आयोग पर प्रवृत होंगे।

[सं० I/12014/1/75-एस० एण्ड पी० (डी०-I)]

नि० मुकर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975